

सेहत का रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध होने से मिलेगी बेहतर चिकित्सा सुविधा : भजनलाल शर्मा

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेशवासियों को उच्च गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना राज्य सरकार की प्रतिबद्धता है। इसके लिए आवश्यक है कि राज्य का प्रत्येक नागरिक सेहतमंद हो, तभी 'स्वस्थ राजस्थान' का संकल्प साकार होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेशवासियों को सेहत का रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध होने से उन्हें त्वरित और बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी और अनावश्यक स्वास्थ्य जांचों एवं दवाओं पर होने वाले खर्च से भी बचा जा सकेगा। शर्मा ने रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर चिकित्सा विभाग के तीन अभियानों का शुभारम्भ किया। उन्होंने पोलियो दिवस के अवसर पर 5 वर्ष तक के बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक प्रदान करने में 'राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान' की शुरुआत की। उन्होंने 'स्टॉप डायरिया अभियान-2024' एवं आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत 'आभा आईडी बनाओ' अभियान का भी शुभारम्भ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शर्मा तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खीवसर ने तीनों अभियानों के पोस्टर का विमोचन कर लाभार्थियों को आभा आईडी कार्ड प्रदान किए तथा बच्चों को ओआरएस के पैकेट एवं जिंक की गोलीयां बांटीं।



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर चिकित्सा विभाग के तीन अभियानों का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खीवसर भी मौजूद थे।

बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य है। इसके लिए 61 हजार 500 से अधिक बूथ बनाए गए हैं, जिन पर 77 हजार 500 से अधिक टीमें पल्स पोलियो की खुराक पिलाएंगी। अभियान के दौरान रविवार के अलावा अगले 2 दिन घर-घर जाकर भी दवा पिलाई जाएगी।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में निचले स्तर तक ऐसा सिस्टम विकसित किया जाए, जिससे हर बच्चे के जन्म के साथ ही उसका एक यूनिक हेल्थ आईडी नम्बर जनरेट हो जाए और भविष्य में उसके स्वास्थ्य से संबंधित हर जानकारी उस आईडी के

अतिरिक्त समस्त चिकित्सा संस्थानों और आंगनबाड़ी केंद्रों पर ओआरएस जिंक कॉर्नर संचालित किए जाएंगे जहां आमजन को दस्त से बचाव और उपचार की जानकारी दी जाएगी। साथ ही, स्वच्छता संबंधी गतिविधियों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत हेल्थ अकाउंट यानी आभा आईडी बनाई जा रही है। इस 14 अंकों की आईडी की सहायता से आमजन स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं से अपने पुराने स्वास्थ्य रिकॉर्ड साझा कर सकेंगे। इससे उनके बेहतर उपचार में मदद मिलेगी।

'प्रदेशवासियों के सेहतमंद होने से ही साकार होगा स्वस्थ राजस्थान का संकल्प'

चिकित्सा विभाग की ओर से यह अभियान 2 माह तक चलाया जाएगा। कार्यक्रम में एनएचएम के मिशन निदेशक डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी, अतिरिक्त मिशन निदेशक अरूण गर्ग, निदेशक जन स्वास्थ्य डॉ. रवि प्रकाश माथुर, सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. दीपक माहेश्वरी, अधीक्षक डॉ. सुशील भाटी एवं निदेशक आरसीएच सुनील सिंह राणावत सहित चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

सांगानेर में उजाड़े परिवारों के पुनर्वास की व्यवस्था करे सरकार : खाचरियावास

जयपुर। पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि सांगानेर में 800 से ज्यादा परिवारों को उजाड़ने का काम राज्य की भाजपा सरकार ने किया है। जबकि राज्य में पहले से ही कांग्रेस सरकार के समय से ही पुनर्वास पॉलिसी लागू की गई है। किसी भी व्यक्ति को उजाड़ने से पहले उसका पुनर्वास किया जाता है। कांग्रेस सरकार के दो कार्यकाल में भेट्टो योजना को लेकर सैकड़ों लोगों के घर और दुकान भेट्टो प्रोजेक्ट के बीच में आ रही थीं इन सब लोगों को इनकी कीमत से ज्यादा करोड़ों रुपए का पुनर्वास मुआवजा देकर इन्हें विश्वास में लेकर उनके खुद के द्वारा कब्जे हटाए गए। जयपुर में सांगानेर में इतनी बड़ी तोड़फोड़ की कार्रवाई हुई किसी भी व्यक्ति का पुनर्वास मुआवजा नहीं दिया गया।

कांग्रेस की जनकल्याणकारी योजनाएं आज भी प्रासंगिक : जूली

जयपुर। विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने मुख्यमंत्री द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन में की जाने वाली वृद्धि की घोषणा को जनता के साथ छलावा बताया है। जूली ने कहा कि यह प्रावधान तो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा पूर्व में ही किया जा चुका है। कांग्रेस हमेशा से गरीब, पिछड़े और जरूरतमंद के हक-हकूक की रक्षा और उनके सम्मान के लिए संवेदनशील रही है। उन्होंने कहा कि पूर्व में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत दी जा रही 500 रुपये की सामाजिक सुरक्षा पेंशन की सहूलियतों को कांग्रेस सरकार ने ही बढ़ाया है, ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंदों को इसका लाभ मिल सके। जूली ने कहा कि हमारी संवेदनशील सरकार ने ही वर्ष

2019 में 6 वर्षों के बाद पेंशन राशि में वृद्धि की थी। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक पेंशन राशि नहीं बढ़ने के कारण पेंशनर्स को होने वाली समस्या के निराकरण की दृष्टि से पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा पेंशन राशि में हर वर्ष 15 फीसदी वृद्धि किए जाने का प्रावधान किया गया, जिसका श्रेय मुख्यमंत्री जी जूझुनूं में ले रहे हैं। जूली ने कहा कि हम कर्म में विश्वास करते हैं झूठा भाषण या छलावा नहीं करते। जूली ने मुख्यमंत्री को इंगित करते हुए कहा कि जिन योजनाओं का श्रेय आप और आपकी पार्टी लेने का प्रयास कर रहे हैं, जो सब तो राजस्थान की पूर्ववर्ती गहलोत सरकार की देन है। आपने इसमें नया क्या किया है?

सुरीले गीत गुंजे
जयपुर। शास्त्रीनगर स्थित संगीत आश्रम संस्थान की ओर से 30 जून, रविवार को संस्थान परिसर में बॉलीवुड के लीजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर मदन मोहन की याद में 'वो भूली दास्तां शीर्षक से सांस्कृतिक संध्या' संजोई गई।

भाजपा ने उपचुनाव वाली सीटों की बारीकी से ली जानकारी

जयपुर। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी की अध्यक्षता एवं प्रदेश सह प्रभारी विजया राहटकर की उपस्थिति में आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में राजस्थान के 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की आगामी रणनीति को लेकर बैठक आयोजित हुई। बैठक में खीवसर, दौसा, देवली उनियारा, झुंझुनूं और चौरासी विधानसभा के प्रभारी, पूर्व प्रत्याशी, जिले के मंत्री, विधायक और पार्टी के जिला पदाधिकारी उपस्थित रहे। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि भाजपा हर चुनाव को महत्वपूर्ण मानती है फिर चाहे वो लोकसभा हो, विधानसभा हो या फिर उपचुनाव हो। प्रदेश की पांचों विधानसभाओं पर उप चुनाव में भाजपा जीत दर्ज करवाएगी और कमल का फूल खिलेगा। ऐसे में पांचों सीटों पर चुनावी रणनीति के तहत दिनभर अलग अलग विधानसभा सीटों पर चर्चा की गई। प्रत्येक विधानसभा के प्रभारी पदाधिकारियों के

■ **भाजपा हर चुनाव को मानती है महत्वपूर्ण, उपचुनावों की रणनीति पर हुई चर्चा, सभी सीटों पर खिलेगा कमल का फूल : सीपी जोशी**

साथ जीत के लिए रणनीति बनाई गई है। भाजपा को प्रदेश सह प्रभारी विजया राहटकर ने कहा कि भाजपा प्रदेश के उपचुनावों की तैयारी में जुट गई है और पार्टी की ओर से बहुत ही बारीकी से इसके लिए काम किया है। ऐसे में मुझे पूर्ण विश्वास है कि भाजपा उपचुनावों में सभी सीटों पर जीत दर्ज करेगी। देश के लोगों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अटूट विश्वास है। भाजपा की डबल इंजन सरकार ने प्रदेश में 7 माह के अल्पकाल में जनहित के कई ऐतिहासिक कार्य किए हैं।

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक कराये।

प्रत्य संख्या 7 (देखिये चयन 21)

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

राजस्थान सार्वजनिक प्रशासन अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस

समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुख्यता नम्बर 203/2024

(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)

श्री श्री अश्विनी वसुदेवी पुत्र श्री कृष्ण चव्हेरी निवासी 3091, जाट के बुरह का रास्ता, एका चौकल चण्डीगढ़ बाजार जयपुर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रशासन अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत कार्यकारी अधिकारी देवस्थान प्रथम विभाग, जयपुर के नाम व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रत्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।

अपवाद धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में अर्जुन प्रत्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रत्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।

अपवाद धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में अर्जुन प्रत्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रत्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।

आज दिनांक 12.06.24 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यलय मोहर के अधीन जारी किया गया।

आइडि नं. 16.8.24

आकाश रंजन (आर.ए.एस.) सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग जयपुर

आवश्यकता

आवश्यकता है पार्ट टाइम कम्प्यूटर ऑपरेटर्स की जो हिन्दी में पेजमेकर, क्वार्क और वर्ड में काम कर सकें।

कार्य समय: सायं 8.00 से 12.00

सम्पर्क करें: अमित

मोबाइल नं.: 7905717804

राष्ट्रदूत

चमेली वाला मार्केट, जयपुर

सम्मान बनाम कायम मुकाम

(आर्दर 22 स्ल 4 जाका दीवानी)

अज अदालत अपर जिला न्यायाधीश क्रम संख्या 1, मुकाम शाहपुर जयपुर

सन्तोष बाई बाबत कैलाश चन्द वर्मा, दावा बाबत अर्ज

मुकदमा नम्बर 31/06 सन्

बनाम-

मुसम्मि (1) शुभ गुला पुत्र कैलाश चन्द (2) शकुन्ता पत्नी कैलाश चन्द जाति महाजन निवासी पावटा हार Clo ऑ. शुभ डेटल विक्रमिक शशीकान्ता धाम CSC-6 DDA मार्केट RD राजपुर पोस्ट 24/1 सेक्टर 9 रोहिणी दिल्ली 110085

श्री अश्विनी देवी ने इस अदालत में तारीख... माह... सन् 199... को 1. सन्तोष बाई बनाम 2. कैलाश चन्द दायर को जो कि बाद में फौत हो गया। और श्री अश्विनी देवी मजकूर के दरखास्त अदालत हाजा में यह जाहिर करने की आप मुतावफ़ी कैलाश चन्द मजकूर के कायम मुकाम जायज हो और इस्तुआ की है बनाय उसके आप 3. कायम मुकाम बनाये जावे।

लिहाजा अजरिये जाहा बर्जज जाबत देवी 1.... 10 माह 7 सन् 2024 को अदालत हाजा में हाजिर होने के लिये तलब किया जाता है और तारीख मुकदर पर आपके हाजिर न होने पर मुकदमा आपकी गैर हाजरी में सुना व फैसला किया जावेगा। बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 31 माह 05 सन् 2024 को जारी किया गया।

आकाश रंजन (आर.ए.एस.) सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग जयपुर

माननीय नेशनल कम्पनी लॉ ट्रिब्यूनल राजस्थान बेंच-जयपुर (राजस्थान)

कम्पनी पेट्रीशन (सीएन) नं. 05/230-232/जेबीआर/2024 में संबंधित

कम्पनी आवेदन (सीएन) नं. 02/230-232/जेबीआर/2024

संबन्ध 230-232 याका कम्पनीज एक्ट, 2013 के अन्तर्गत लागू प्राधानों के मामलों में, कम्पनीज (कामोद्देशित अर्न्वेन्दन एक्ट अमलमन्वयन) नियम, 2016 के साथ पडित लोहा आफरवैट लिमिटेड (डीपीजे कम्पनी/आवेदनकर्ता नं. 1 कम्पनी) तथा लोहा भिन्-ओ-पैक माइवैट लिमिटेड (रिजलिंग कम्पनी/आवेदनकर्ता नं. 2 कम्पनी) के मामलों में

स्त्री ऑफ डीअर्नर के मामले में

कम्पनी पेट्रीशन की सुनवाई का नोटिस

कि कम्पनीज एक्ट 2013 के सैशन 230-232 के प्राधानों के तहत दायर की गयी है लोहा आफरवैट लिमिटेड तथा लोहा भिन्-ओ-पैक माइवैट लिमिटेड तथा उनके अपने शेयर धारकों के बीच डीअर्नर (स्त्री) के द्वारा स्त्रीज आफ कामोद्देशित एवं अर्न्वेन्दन की स्वीकृति के लिये माननीय नेशनल कम्पनी लॉ ट्रिब्यूनल, राजस्थान बेंच-जयपुर (राजस्थान) के सम्मक्ष प्रस्तुत की गयी है। कि माननीय ट्रिब्यूनल के द्वारा दिनांक 07.06.2024 को पारित आदेश से उपरोक्त मामला 30.07.2024 (मंगलवार) को सुनवाई के लिये अज अनिम निर्या के लिये सुविधित किया गया, सभी संबंधित स्टोक होल्डर्स को सुचित किया जाता है। कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त वॉलेंट कम्पनी पेट्रीशन (पेट्रीशन) का सुनवाई के लिये अज अनिम निर्या करना चाहता है, को आवेक कम्पनियों के अधिवक्त को उनके नीचे लिखित पत्र पर, अपने/अपनी मंशा नोटिस अपने/अपनी अथवा अपने/अपनी अधिवक्तियों के हस्ताक्षर, को साथ अपने नाम एवं पते के साथ तथा साथ ही माननीय कम्पनी लॉ ट्रिब्यूनल, राजस्थान बेंच, जयपुर (राजस्थान) को सी-5/6, कारपोरेट भवन, रजिस्ट्री एरिया, सिविल लाइन्स, जयपुर-302006 (राजस्थान) के, सुनवाई की निवत लिपियों से दो दिन पूर्व से अधिवक्त देवे, सभेजना चाहिये। जिसमे पेट्रीशन का कहां विरोध करना चाहता है, जिसका का आधार अथवा उसके साथ पत्र की प्रति ऐसे नोटिस के साथ प्रस्तुत की जानी चाहिये। पेट्रीशन की प्रति आवेदनकर्ता कम्पनियों के अधिवक्त के द्वारा, किसी भी व्यक्ति को, पत्रे उसकी आवश्यकता है, उपलब्ध करायी जायेगी।

नरेश कुमार सेजवानी एडवोकेट (आर/274/2017) टी-7, फेरीसिटी टावर, सबकार मार्ग, जयपुर-302006 (राजस्थान) [nksejvani@gmail.com] [876439908]

खोया पाया

मेरे प्लॉट नं. ई-371, कल्पना नगर, आगरा रोड, जयपुर का ओरिजिनल पजेसन लेटर कहीं खो गये हैं। मिलने पर सूचित करें। दीनदयाल पारीक 8302292460

नाम परिवर्तन

मैंने अपना नाम हरक चन्द से बदलकर हरक चन्द जैन कर लिया है। अतः भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जाये। पता-11, राधा मुकुट विहार, न्यू सांगानेर रोड, मानसरोवर, जयपुर

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

क्रमांक-DEV/JAIPUR/2024/18

दिनांक 05-06-2024

सुचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान सार्वजनिक प्रशासन अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत "वाटिका सिटी मॉडर्न ट्रस्ट", वेस्ट रिक कुर्चेवई, वाटिका इन्फोटेक सिटी, अजमेर रोड, जयपुर के गठन / जीव हेतु आवेदन प्रस्तुत हुआ है।

अतएव धारा 18 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उपर्युक्त प्रत्यास की जांच की जा रही है तथा इसमें हित रखने वाले सम्स्त व्यक्तियों के नाम व्यापक जानकारी के लिये यह नोटिस प्रकाशित किया जा रहा है कि इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ (60) दिन के भीतर उक्त प्रत्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो, प्रस्तुत करें। यह भी सूचित किया जाता है कि उपर्युक्त निरिदिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निरिधित किया जावेगा तथा जांच प्रसिंत मामले में निरिधित अधिवक्तित किया जावेगा।

आज दिनांक 05-06-2024 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यलय मोहर के अधीन जारी किया गया।

सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

श्री भजनलाल शर्मा
माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान

श्री सी.आर. पाटिल
माननीय मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार

श्री सुरेश सिंह रावत
माननीय जल संसाधन मंत्री राजस्थान

श्री राव राजेन्द्र सिंह
माननीय संसद जयपुर ग्रामीण

श्री कुलदीप धनखड़
माननीय विधायक विराटनगर

माननीय प्रधानमंत्री महोदय एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हार्दिक आभार

संशोधित पार्वती - कालीसिंध - चम्बल लिंक परियोजना (एकीकृत ERCP) में अलवर एवं विराटनगर क्षेत्र के बांध जोड़ने से क्षेत्रवासियों को मिलेगी पेयजल एवं सिंचाई सुविधा

अभिनंदन एवं धन्यवाद सभा

स्थान : धनखड़ कृषि फार्म, भाखरी, पावटा
दिनांक : 01 जुलाई, 2024
समय : प्रातः 10:00 बजे